an>

Title: Need to transfer civil land under Cantonment Boards to Municipal Corporations/Municipalities.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ऐसे विÂषय को सदन में उठाने का मौका दिया है जिससे देश के करोड़ों लोगों की व्यवस्था जुड़ी हुई है।

महोदया, देश के विभिन्न स्थानों पर 62 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिनमें जमीन को डिफेंस लैंड और सिविल लैंड के रूप में विभाजित किया जाता है। सिविल लैंड वह जमीन होती है, जहां सिविलियन्स रहते हैं और डिफेंस लैंड वह जमीन होती है, जहां अधिकांश डिफेंस के लोग रहते हैं। इन सब की व्यवस्था एक कंटोनमेंट बोर्ड करता है। अनुभव यह बताता है कि जो कंटोनमेंट्स बोर्ड हैं, वह बहुत ही अक्षम रहते हैं। एक तो उन पर सेना का नियंत्रण रहता है और सेना के अधिकारी सिर्फ अपनी डिफेंस लैण्ड में बने हुए बंगलों का सही से देखभाल करते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं और बाकी सिविल लैण्ड पर रहने वाले नागरिकों को सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाती हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जितने भी सिविल एरिया की जमीन है, उसको स्थानीय ईकाई के रूप में परिवर्तित कर दे और स्थानीय निकाय उसका संचालन करें ताकि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह से मिल सकें और तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुÂपेन्द्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंग बारणे, श्री राहुल शेवाले, श्री सी.पी. जोशी, श्री रोड़मल नागर और श्री सुधीर गुप्ता को श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।